

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी:-चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-351/2017 प्रार्थना पत्र

श्रीमति शांतादेवी पत्नि पुरुषोत्तम शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान) -----प्रार्थीया

बनाम

- 1-श्रीमति धापू पत्नि रायमल जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्रीमति सोनू पत्नि भागीरथ शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-श्री कैलाश पिता कल्याणमल भदादा, उम्र बालिग निवासी भदादा मोहल्ला, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4-श्री रतनसिंह पिता ईशरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-15.11.2017

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 602/1 रकबा 09 बिस्वा, भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.11.2017 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में नफल रहने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 602/1 रकबा 09 बिस्वा, भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 500/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)  
आई ए एस  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा